





अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

होगा बनाम तहसीलदार माण्डल

किस्म मुकदमा त्रा.पत्रा नं० 36 सन् 2018

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
२-१-१८	<p>वाद / <input checked="" type="checkbox"/> प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक १-२-१८ को पेश हो।</p> <p></p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
१-२-१८	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार करने से पत्रावली दिनांक को पेश हो गई।</p> <p>16-2-18</p>	
१६-२-१८	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थनागण उपस्थित । विपक्षी के सम्मन बाद तामील खप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली छिद्ये गये। विपक्षी के जवाब हेतु पत्रावली दिनांक १३-३-१८ को पेश हो।</p> <p></p>	
१३-३-१८	<p>उपरोक्त उपस्थित वी.डी.सी. अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अद्यकाल पर है / पदस्थित है। पत्रावली दिनांक १३-३-१८ को पेश हो।</p> <p></p> <p>सीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
२०-६-१८	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत जेट केम्प जगद भाप के २०१८-२०१८ केम्प लेखा मे पेश हुई। प्रकरण मे तहसीलदार माण्डल, अ.ओ. निरीमल चान्दराव, पत्रावली लेखा मे रिपोर्ट लि गई</p> <p></p>	

जिसके अनुसार वादीगणों को कुमावत कहते हैं। वादीगणों की जाती कुम्हार के वजाय राजस्व रेकार्ड में कुमावत दर्ज किये जाके की अनुशंखा की गई है।

पुकरण का अवलोकन किया गया एवं तहसीलदार माण्डल की आदेशों पर मजबूत किया गया तथा पञ्जावली में उपलब्ध दस्तावेजों आधार पर, पञ्जावली का अध्ययन किया गया जिससे जाती कुमावत दर्ज है लेकिन ग्राम आदर्शनगर, पञ्जावली के लक्ष्मी कृष्ण जमा बंदी 2072-75 के (वाला संख्या नमा) क्रमांक: 18, 37, 38, 39, 41, 79, 80, 84, व ग्राम लक्ष्मी पञ्जावली के लक्ष्मी कृष्ण जमा बंदी 2072-75 (वाला संख्या नमा) क्रमांक: 90, 269, 270, 271, 278, 530, 577 में वादीगणों की जाती कुम्हार अंकित है। वादीगण उपरोक्त खालों में अंकित जाती कुम्हार के वजाय कुमावत दर्ज कराना चाहिए है।

रिपोर्ट तहसीलदार माण्डल एवं पञ्जावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ग्राम आदर्शनगर प.ह. लक्ष्मी एवं ग्राम लक्ष्मी प.ह. लक्ष्मी के उपरोक्त खालों में वादीगणों की जाती कुम्हार के वजाय कुमावत राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाके के आदेश दिए जाते हैं तहसीलदार माण्डल अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलद्वारा करें।

पञ्जावली केशव शुभर दोहरा नम्बर के दम है।


उपस्थित अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा